



2026:AHC-LKO:19974

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ**

रिट कर संख्या - 404 सन 2026

मेसर्स अवध ट्रेडर्स द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
राजेश कुमार पांडे

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव राज्य कर
विभाग लखनऊ एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	:	देवानंद पांडेय
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता	:	मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 15

माननीय न्यायमूर्ति मनीष कुमार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रांजल शुक्ला को और प्रतिवादी के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2. इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता, उत्तर प्रदेश राज्य कर विभाग, अयोध्या, सेक्टर-2, बाराबंकी के उपायुक्त द्वारा दिनांक 06.06.2025 को पारित आदेश को चुनौती दे रहा है। इसी आदेश को प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष अपील में चुनौती दी गई थी और वह अपील भी दिनांक 24.10.2025 के आदेश द्वारा खारिज कर दी गई थी।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि याचिकाकर्ता को दिनांक 21.12.2024 को कारण बताओ नोटिस और दिनांक 22.02.2025 को अनुस्मारक नोटिस जारी किया गया था। आगे बताया गया कि नोटिस तामील नहीं किया गया क्योंकि इसे 'अतिरिक्त नोटिस और आदेश' टैब के अंतर्गत अपलोड किया गया था, जो याचिकाकर्ता के अनुसार अधिकृत नहीं था। लेकिन आदेश दिनांक 06.06.2025 को पारित किया गया, यानी लगभग एक महीने के अंतराल के बाद।
4. आगे यह निवेदन किया जाता है कि चुनौती दिया गया आदेश अधिनियम की धारा 75(4), (5) का उल्लंघन है।
5. आगे यह निवेदन किया जाता है कि उपर्युक्त आदेश लगभग एक महीने के अंतराल के बाद पारित किए जाने के एकमात्र आधार पर ही रद्द किए जाने योग्य हैं, जबकि इस न्यायालय की खंडपीठ ने **रिट कर संख्या 303 / 2024 [महावीर ट्रेडिंग कंपनी बनाम उपायुक्त, राज्य कर और अन्य; 2024:एचसी:38820-डीबी]** में यह माना है कि आदेश पारित करने की तिथि व्यक्तिगत सुनवाई की तिथि के अनुरूप होनी चाहिए; यदि दोनों के बीच अंतराल है, तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि प्राधिकरण ने सुनवाई के समय दलीलों पर विचार नहीं किया है।
6. आगे यह निवेदन किया जाता है कि इस पहलू को इस न्यायालय की एक अन्य खंडपीठ ने मेसर्स शुभम स्टील ट्रेडर्स बनाम उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अन्य; 2024:एचसी:31108-डीबी में भी ध्यान में रखा है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

7. राज्य प्रतिवादी के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने उपरोक्त दलीलों का खंडन किया है, हालांकि वे इस तथ्य से इनकार नहीं कर सके कि दिनांक 06.06.2025 का आक्षेपित आदेश लगभग एक महीने बाद पारित किया गया था, क्योंकि व्यक्तिगत सुनवाई की तिथि 23.05.2025 थी। **महावीर ट्रेडिंग कंपनी (उपरोक्त)** और **मेसर्स शुभम स्टील ट्रेडर्स (उपरोक्त)** में इस न्यायालय का निर्णय स्पष्ट रूप से लागू होता है।

8. इस न्यायालय ने **मेसर्स शुभम स्टील ट्रेडर्स (उपरोक्त)** में खंडपीठ के निर्णय के प्रासंगिक भाग को उद्धृत किया है, जो इस प्रकार है:

“6. 06.11.2023 को हुई कार्यवाही की स्थिति के संबंध में सही तथ्य चाहे जो भी हो, आदेश में इसका कोई उल्लेख नहीं है। यह भी उतना ही सत्य है कि निर्धारण प्राधिकारी ने निर्धारित तिथि यानी 06.11.2023 को कोई आदेश पारित नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने 14 दिन बाद, 20.11.2023 को आदेश पारित करना चुना। न तो आक्षेपित आदेश और न ही विद्वान स्थायी अधिवक्ता के निर्देशों से यह संकेत मिलता है कि 20.11.2023 के लिए कोई तिथि निर्धारित की गई थी। कोई और तिथि निर्धारित किए बिना और याचिकाकर्ता को कोई और अवसर दिए बिना आक्षेपित आदेश पारित कर दिया गया है।

7. इन तथ्यों के आधार पर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आक्षेपित आदेश वास्तव में एकतरफा है। यह आदेश अत्यंत जल्दबाजी में पारित किया गया है, क्योंकि याचिकाकर्ता को 31.10.2023 की नोटिस के तहत सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए केवल पांच दिन का समय दिया गया था। याचिकाकर्ता के समय के अनुरोध को अस्वीकार किए बिना, प्रतिवादी प्राधिकरण ने उस तिथि को अंतिम आदेश पारित नहीं किया। उन्होंने कार्यवाही में नई तिथि की सूचना भी नहीं दी।

8. अतः, इस न्यायालय के समन्वय पीठ के निर्णय, मेसर्स वीडियोकॉन डी2एच लिमिटेड और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2016) 93 यूपीटीसी 237, मेसर्स अरोमा केमिकल्स बनाम भारत संघ और अन्य, तटस्थ उद्धरण संख्या-2014: एएचसी-60699-डीबी पर भरोसा करते हुए, यह तर्क दिया गया है कि ऐसा आदेश मान्य नहीं हो सकता।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

9. हालांकि विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता के पास अपील का उपाय है और याचिकाकर्ता स्वयं ही दोषी है क्योंकि उसने दिनांक 31.10.2023 के नोटिस का पालन नहीं किया, फिर भी हम इस आपति से प्रभावित नहीं हैं।

10. प्राकृतिक न्याय के नियम कार्यवाही में निष्पक्षता सुनिश्चित करते हैं। एक बार जब प्राधिकारी ने मामले की सुनवाई दिनांक 06.11.2023 को तय कर दी थी, तो उस प्राधिकारी का यह दायित्व था कि वह या तो आदेश पारित करे या कोई अन्य तिथि निर्धारित करके याचिकाकर्ता को सूचित करे। दूसरी तिथि की सूचना देना आवश्यक था क्योंकि निर्धारण प्राधिकारी के अनुसार याचिकाकर्ता दिनांक 06.11.2023 को उसके समक्ष उपस्थित नहीं हुआ था।

11. दिनांक 06.11.2023 को आदेश पारित न करके और कार्यवाही में निर्धारित अगली तिथि की सूचना न देकर, निर्धारण प्राधिकारी ने अपने आचरण से याचिकाकर्ता पर एकतरफा आदेश थोप दिया।

12. अधिनियम के अंतर्गत ऐसे मामलों में एकतरफा कार्यवाही की अनुमति देने का कोई प्रावधान न होने के कारण, हम पाते हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाया गया प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन वास्तविक है।

9. चूंकि उपर्युक्त कथन वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू होता है, इसलिए आक्षेपित आदेशों को मान्य नहीं ठहराया जा सकता और दिनांक 06.06.2025 और 24.10.2025 के आदेशों को तदनुसार रद्द किया जाता है।

10. उपरोक्त के साथ, वर्तमान याचिका को **अनुमति** दी जाती है।

11. मामले को निर्धारण प्राधिकारी को वापस भेजा जाता है ताकि याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के बाद नया आदेश पारित किया जा सके।

मार्च 19, 2026

आशीष/-

[न्यायमूर्ति मनीष कुमार]

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।